मिशन शक्ति योजना

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप

प्रसंग

- हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशन में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विशिष्ट योजना के रूप में शुभारंभ 'मिशन शक्ति' योजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- ज्ञातव्य है कि भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 'मिशन शक्ति' के नाम से एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है।
- 'मिशन शक्ति' के मानदंड 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

मिशन शक्ति योजना

क्या है?

यह योजना संपूर्ण जीवन चक्र में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विचार करने और उनके जीवन में बदलाव लाने का पक्षधर है।

उद्देश्य

- महिला सुरक्षा
- संरक्षा
- सशक्तिकरण

प्रेरणा

योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, हिंसा और खतरे से मुक्त माहौल में अपने मस्तिष्क और शरीर के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने को प्रेरित किया जाएगा।

IN THE WORKS

- Additional 300 One-Stop Centres to be set up; existing centres to be upgraded
- Govt to introduce free day-care créche facilities through Palna
- Half-Way Homes to be set up under Anti-Trafficking Units, where a group of victims, ready for reintegration, can live and work out of
- Hubs for empowerment of women to be set up at Central, states and districts levels to merge and monitor schemes

- मिशन शक्ति योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है।
- मिशन शक्ति के मानदंड 01 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे।
- विदित है कि महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ कार्यक्रम को पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा।
- यह महिला सशक्तिकरण हेतु केंद्र का प्रमुख कार्यक्रम है, जो बालिकाओं की शिक्षा और लिंगानुपात में सुधार पर केंद्रित है।

मिशन शक्ति योजना के उद्देश्य

- 'मिशन शक्ति' मिशन मोड में एक योजना है, जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्थन को मजबूत बनाना है।
- यह योजना संपूर्ण जीवन चक्र में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विचार करने और उनके जीवन में बदलाव लाएगी तथा उन्हें नागरिक-स्वामित्व के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण में समान भागीदार बनाएगी।
- इस तरह यह योजना सरकार की "महिलाओं के विकास" की प्रतिबद्धता को साकार रूप देगी।

प्रमुख गतिविधियां

- योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, हिंसा और खतरे से मुक्त माहौल में अपने मस्तिष्क और शरीर के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने को प्रेरित किया जाएगा।
- योजना के तहत महिलाओं पर देखभाल के बोझ को कम करने और कौशल विकास, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता, सूक्ष्म ऋण प्राप्त करने तक उनकी पहुंच बढ़ाकर महिला श्रम बल की भागीदारी को बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा।

उप-योजनाएं

- 'मिशन शक्ति' की दो उप-योजनाएं हैं- 'संबल' और 'सामर्थ्य'।
- जहां "संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, वहीं 'सामर्थ्य' उप-योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है।
- 'संबल' उप-योजना के घटकों में नारी अदालतों के एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) की पूर्ववर्ती योजनाएं शामिल हैं।
- इसके अलावा यह योजना समाज और परिवार के भीतर वैकल्पिक विवाद के समाधान एवं लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने का काम करेगी।
- 'सामर्थ्य' उप-योजना के घटकों में उज्ज्वला, स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास की पूर्ववर्ती योजनाओं को संशोधनों के साथ शामिल किया गया है।
- इसके अलावा, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना और विशिष्ट आईसीडीएस के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की मौजूदा योजनाओं को अब इस योजना में शामिल किया गया है। योजना में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गैप फंडिंग का एक नया घटक भी जोड़ा गया है।
- यह योजना लक्षित महिलाओं को तत्काल और दीर्घकालिक देखभाल और सहायता की पहल के लिए सेवा वितरण और तकनीकी / अन्य आवश्यक जनशक्ति को काम पर रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

इसके अंतर्गत सेवाओं में शामिल हैं

- आपातकालीन/तत्काल सेवाएं और अल्पकालिक देखभाल
    - हिंसा से प्रभावित महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर और एकीकृत सेवाओं जैसे अस्थायी आश्रय द्वारा 24 घंटे समर्पित हेल्पलाइन के माध्यम से निरंतर सहायता और देखभाल प्रदान करने के लिए तंत्र स्थापित करना।
    - वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से कानूनी सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श, चिकित्सा सहायता, पुलिस सुविधा और उन्हें मौजूदा सेवाओं आदि से जोड़ना।

- दीर्घकालिक समर्थन के लिए संस्थागत देखभाल
    - o दीर्घकालिक संस्थागत देखभाल घटक में, अन्य बातों के साथ-साथ, गर्भधारण के चरण से लेकर उस समय तक महिलाओं की आवश्यकताओं का ध्यान रखना शामिल है, जब तक उन्हें उनकी शारीरिक, वित्तीय और सामाजिक स्थिति के कारण ऐसी देखभाल और समर्थन की आवश्यकता होती है।
- वित्तीय सहायता
    - o प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मार्ग, आश्रय, भोजन, बचाव और पुनर्वास सेवाओं, परामर्श, कार्यात्मक साक्षरता, कौशल विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमिता और विभिन्न अन्य समर्थन और रेफरल सेवाओं के साथ संबंधों के माध्यम से वित्तीय सहायता शामिल है।
    - o निराश्रित, व्यथित, वंचित, हिंसा की शिकार और कामकाजी महिलाओं या जिनके पास शक्ति सदन के माध्यम से देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, की देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए और सभी दैनिक जरूरतों और सेवाओं की पूर्ति करना।
- सुरक्षित स्थान
    - o यह सखी निवास या कामकाजी महिला छात्रावास शहरी, अर्ध-शहरी, शहरी, अर्ध-शहरी में, जहां भी संभव हो, उनके बच्चों के लिए आवास, भोजन, डे-केयर सुविधा जैसी सभी कार्यात्मक सुविधाओं के साथ कामकाजी महिलाओं को उनके मूल स्थान / घरों से दूर एक सुरक्षित और सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा।
- व्यवहार परिवर्तन महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा की गरिमा और रोकथाम के लिए संचार
    - o इसमें अंतर-मंत्रालयी अभिसरण के माध्यम से सभी कर्तव्य धारकों, सेवा प्रदाताओं और हितधारकों के लिंग संवेदीकरण, वकालत, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम और सामुदायिक जुड़ाव शामिल होंगे।
    - o इसके अलावा, वीएडब्ल्यू और जेंडर रूढ़िवादिता का मुकाबला करने के लिए पुरुषों और लड़कों के साथ भागीदारी की जाएगी, जिसमें अंतर-क्षेत्रीय परामर्श, मीडिया अभियान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण / संवेदीकरण कार्यक्रम, नवाचार, आउटरीच और वकालत, आईईसी सामग्री / जागरूकता किट आदि शामिल होंगे।

बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम हेतु दिशा-निर्देश

- बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम को पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा।
- यह महिला सशक्तिकरण हेतु केंद्र का प्रमुख कार्यक्रम है, जो बालिकाओं की शिक्षा और लिंगानुपात में सुधार पर केंद्रित है।
- वर्तमान में यह कार्यक्रम 405 जिलों में परिचालित है।

लक्ष्य

- इस घटक का लक्ष्य शून्य बजट विज्ञापन और जमीनी स्तर पर प्रभाव डालने वाली गतिविधियों पर अधिक खर्च को प्रोत्साहित करना होगा।
- इसके अंतर्गत विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में, पीसी-पीएनडीटी अधिनियम, आदि के बारे में जागरूकता को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा।
- दिशानिर्देशों के अनुसार, मंत्रालय ने अब जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) में हर साल 2 अंकों में सुधार, संस्थागत प्रसव के प्रतिशत में 95% या उससे अधिक में सुधार, प्रति वर्ष पहली तिमाही एएनसी पंजीकरण में 1% की वृद्धि का लक्ष्य रखा है।
- माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में 1 प्रतिशत की वृद्धि और प्रति वर्ष लड़कियों और महिलाओं के कौशल में वृद्धि, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के स्कूल बीच में छोड़ने की दर की जांच करने और सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।
- यह योजना 'खेलो इंडिया' के तहत प्रतिभाओं की पहचान करके और उन्हें उपयुक्त प्राधिकरणों से जोड़कर खेलों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने पर भी ध्यान देगी।
- मंत्रालय ने घरेलू हिंसा और तस्करी सहित हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए स्थापित वन-स्टॉप सेंटर (ओएससी) को मजबूत करने की भी योजना बनाई है, जिसमें उन जिलों में 300 ओएससी शामिल हैं, जहां या तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों की उच्च दर है या भौगोलिक रूप से बड़े हैं।
- निर्भया फंड के तहत अन्य पहलों के साथ समन्वय और अभिसरण के लिए जिला स्तर पर ओएससी मंत्रालय का मुख्य आधार होगा - जैसे महिला हेल्पलाइन, मानव तस्करी रोधी इकाइयां, महिला हेल्प डेस्क और विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण आदि।

- दीर्घकालीन आश्रय के लिए ओएससी द्वारा शक्ति सदन के समन्वय से दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवस्था की जाएगी।
- टोल-फ्री, 24 घंटे की महिला हेल्पलाइन 181 को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के साथ मिला दिया जाएगा और अन्य प्लेटफॉर्म जैसे 1098 चाइल्ड लाइन और नालसा को भी ओएससी से जोड़ा जाएगा।
- भविष्य में, आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए 112 नंबर और महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के लिए सभी गैर-आपातकालीन और सूचना प्रसार सेवाओं की देखभाल के लिए 181 नंबर रखने का प्रयास किया जाएगा। स्थितिजन्य या शारीरिक चुनौतियों के कारण बोलने में असमर्थ लोगों के लिए हेल्पलाइन को टेक्स्ट या संदेशों के अन्य रूपों के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है।
- एक नया घटक नारी अदालत पेश किया गया है, जो महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर छोटी प्रकृति (उत्पीड़न, तोड़फोड़, अधिकारों में कटौती या अधिकार) के मामलों को हल करने के लिए एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

प्रमुख पहल

- अतिरिक्त 300 वन-स्टॉप केंद्र स्थापित किए जाएंगे; मौजूदा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा।
- पालना के माध्यम से मुफ्त डे-केयर क्रेच सुविधाएं शुरू की जाएंगी।
- अवैध व्यापार रोधी इकाइयों के तहत हाफ-वे होम स्थापित किए जाएंगे।
- योजना के विलय और निगरानी के लिए केंद्र, राज्यों और जिलों के स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे

स्रोत: द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस